रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकरण से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 227] नई दिल्ली, सोमवार, मई 4, 1987/वैशाख 14, 1909
No. 227] NEW DELHI, MONDAY, MAY 4, 1987/VAISAKHA 14, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 4 मई, 1987

अधिसूचना

सं. 195/87 – सीमाशुल्क

सा. का. नि. 452(अ) :— केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की

अधिसूचना सं. 65/87 – सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 1987 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में क्रम सं. 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
"12.	डायल	मूल्य का 60 प्रतिशत
13.	क्वार्ट्ज सदृश हाथ की घड़ियों के के लिए पूर्ण घड़ी केस।	मूल्य का 60 प्रतिशत।"।

[फा. सं. 346/66/87 – टी आर यू]

टी. जयरामन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 4th May, 1987

NOTIFICATION

No. 195|87-CUSTOMS

G.S.R. 452 (E) :—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 65|87-Customs, dated the 1st March, 1987, namely :-

In the Table annexed to the said notification after Sl. No. 11 and the entries relating thereto, the following Sl. Nos. and entries shall be inserted, namely :—

(1)	(2)	(3)
"12.	Dial	60% ad valorem
13.	Complete watch cases for quartz analog wrist watches	60% ad valorem."

[F. No. 346|66|87-TRU]

T. JAYARAMAN, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987